

दिनांक 25.11.2015 को 3.30 बजे अपराह्न में कृषि विभाग, विकास भवन, पटना के सभा कक्ष में आयोजित कृषि सम्बन्धित राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति की बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थित : पंजी में संधारित।

2. सचिव(व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के कम आबादी वाले क्षेत्रों में उपलब्ध करायी गई बैंकिंग सुविधा की समीक्षा बैंक अधिकारियों के साथ की गई। उन्होने बतलाया कि 2000 से कम आबादी वाले 27300 गाँवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करानी है। 1730 गाँवों में कोई भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। 2000–5000 आबादी वाले 9000 गाँवों में भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करानी है। बैंकों की नए शाखाएँ खोलने के लिए जिन गाँवों में कार्य नहीं हो रहा है उसकी समीक्षा कर अगली एस० एल० बी० सी० की बैठक में स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया। उन्होने पंचायत में जहाँ भवन उपलब्ध नहीं है, पंचायत सरकार भवन में बैंक की शाखा खोलने का सुझाव दिया।

(कार्रवाई : एस० एल० बी० सी०, पटना)

3. सचिव, वित्त (व्यय) द्वारा बतलाया गया कि सरकार शिक्षा ऋण को बहुत पैमाने पर प्रोन्त करना चाहती है। उन्होने बैंक अधिकारियों से राज्य में शिक्षा ऋण वितरण पर विशेष बल देने का अनुरोध किया।

(कार्रवाई : एस० एल० बी० सी०, पटना)

4. सचिव, वित्त विभाग द्वारा बतलाया गया कि परिवहन विभाग के 96 से अधिक विभिन्न बैंकों के ड्राफ्ट हैं जो सस्पेन्स एकाउन्ट (Suspense Account) में है, नगदीकरण (Cash) नहीं हो सके हैं। इस प्रकार के कुल 22000 ड्राफ्ट होने की सूचना वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा दी गई। सचिव, वित्त विभाग द्वारा इसका एक प्रभावकारी समाधान (Effective solution) निकालने हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया। कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा तंत्र (System) में परिवर्तन के कारण इस समस्या के समाधान में परेशानी बतलायी गई तथा ड्राफ्टों की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभाग के प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया।

(कार्रवाई : वित्त विभाग, बिहार, पटना / एस० एल० बी० सी०, पटना)

5. बिहार राज्य सहकारिता बैंक का दिनांक 30.09.15 तक 53860 नए किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत एवं वितरित आवेदनों की संख्या 6613 एवं राशि 1781 लाख रुपया है जो लक्ष्य का 12.28% है। उपलब्धि कम होने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया। सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि द्वारा फसल ऋण एवं अधिप्राप्ति दोनों मिलाकर उपलब्धि अच्छी होने की सूचना दी गई। Private Deposit करने तथा स्थिति में सुधार लाने का सुझाव दिया गया।

(कार्रवाई : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना)

6. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बैंकवार किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि ऋण वितरण की समीक्षा की गई। वर्ष 2015–16 में दिनांक 30.09.15 तक 15 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य के विरुद्ध 372819 के० सी० सी० किसानों को उपलब्ध कराये गए हैं जो लक्ष्य का 24.86% है। कम उपलब्धि होने के कारणों की जानकारी ली गई तथा शत प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि पर बल दिया गया।

(कार्रवाई : एस० एल० बी० सी०, पटना)

7. कृषि एवं अन्य Allied activities अन्तर्गत राज्य में दिनांक 30.09.2015 तक डेयरी में 274005 लाख रुपये लक्ष्य के विरुद्ध 6213 कृषकों को 18220 लाख रुपया वितरित किया गया है जो लक्ष्य का 6.92% है। मत्स्य पालन (Fishery Unit) अन्तर्गत 65796 लाख रुपये लक्ष्य के विरुद्ध 265 आवेदकों को 912 लाख रुपया वितरित किया गया है जो लक्ष्य का 1.50% है। पॉल्ट्री यूनिट

अन्तर्गत 115517 लाख रुपये लक्ष्य के विरुद्ध 3629 आवेदकों को 14942 लाख रुपया वितरित किया गया है जो लक्ष्य का 12.90 प्रतिशत है। कम उपलब्धि होने के कारण कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा खेद व्यक्त किया गया तथा बैंक अधिकारियों को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई : एस० एल० बी० सी०, पटना)

8. कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत 290244 लाख रुपये लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 30.09.15 तक 15492 कृषकों को 39953 लाख रुपया ऋण वितरित किया गया है जो लक्ष्य का 13.90 प्रतिशत है। कृषि टर्म लोन (AGRI TERM LOAN) अन्तर्गत 1465110 लाख रुपये लक्ष्य के विरुद्ध 293202 कृषकों को 573921 लाख रुपया वितरित किया गया जो लक्ष्य का 39.52 प्रतिशत है। कम उपलब्धि होने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया तथा स्थिति में सुधार लाने हेतु बैंक अधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत कृषि मेले के बाद में किसानों द्वारा क्रय किए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि देय है।
9. किसानों के Joint Liability Groups (J.L.G) अन्तर्गत दिनांक 30.09.15 तक 75000 लक्ष्य के विरुद्ध 17621 J.L.G. को 22457 लाख रुपया वितरित किया गया है जो लक्ष्य का 23.49% है। J.L.G. की संख्या बढ़ाने हेतु बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया गया।

(कार्रवाई : एस० एल० बी० सी०, पटना)

10. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा के० सी० सी० ऋण एवं अन्य Allied activity (Dairy, Fishery, Poultry) अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति हेतु प्रत्येक बुद्धवार को बैंक शाखा के स्तर पर आयोजित के० सी० सी० कैम्प की प्रगति की जानकारी ली गई। सहायक महाप्रबन्धक बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पटना द्वारा प्रत्येक प्रखंड में कैम्प के आयोजन हेतु एक कैलेण्डर तैयार करने हेतु गत बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी दी गई। कृषि निदेशक, बिहार द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में प्रत्येक बुद्धवार को बैंक शाखा के स्तर पर क्रेडिट कैम्प के आयोजन हेतु अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक तथा जिला कृषि पदाधिकारी के समन्वय (Co-ordination) से कैलेण्डर तैयार करने का सुझाव दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी सूचना सभी जिला कृषि पदाधिकारी को देने तथा एक पत्र सहायक महाप्रबन्धक, एस० एल० बी० सी० संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, पटना तथा सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई : सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय)

11. उप महाप्रबन्धक, नबार्ड, पटना द्वारा बतलाया गया कि नबार्ड की Area Development Scheme अन्तर्गत डेयरी, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, लीची, मशरूम इत्यादि के लिए Activitywise कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बतलाया कि कृषि में टर्म लोन (term loan) बढ़ाने के लिए नबार्ड द्वारा 822 करोड़ की योजना बनाई गई है। उन्होंने जिला स्तर पर आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इसकी समीक्षा पर बल दिया।

(कार्रवाई : सहायक महाप्रबन्धक, एस० एल० बी० सी०, पटना)  
उप महाप्रबन्धक, नबार्ड, पटना)

12. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा भूधारिता प्रमाण पत्र (LPC) में किसी प्रकार की समस्या के बारे में बैंक अधिकारियों से जानकारी ली गई। किसी प्रकार की समस्या नहीं होने की जानकारी दी गई।
13. किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि ऋण एवं अन्य Allied activities Fishery, Poultry, Dairy अन्तर्गत ऋण वितरण तथा बैंकों से सम्बद्ध विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु महीने में दो बार जागरूकता कार्यक्रम (Awareness Programme) प्रत्येक बैंक के शाखा स्तर पर करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

(कार्वाई : एस० एल० बी० सी०, पटना)

14. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि Egg Laying Birds परियोजना अन्तर्गत राज्य में अंडे के उत्पादन हेतु 1600 यूनिट तेयार करने के लिए कृषकों का चयन किया गया था। प्रथम चरण में सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद कुछ कृषकों को ऋण की स्वीकृति अब तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सारण शाखा द्वारा नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में पूर्व में आयोजित बैठक में भी चर्चा की जा चुकी है। आन्धा बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/देना बैंक/सिंडिकेट बैंक/इलाहाबाद बैंक/केनरा बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा इस योजना अन्तर्गत ऋण की स्वीकृति हेतु इच्छा व्यक्त की। इसकी सूचना स्टेट इनोभेशन काउन्सिल के सदस्य को देने का निदेश दिया गया।

(कार्वाई : सांख्यिकी कोषांग, कृषि निदेशालय)

15. कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 3 लाख रुपये तक फसल ऋण/के० सी० सी० ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर समय पर ऋण की अदायगी करने पर 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा नवार्ड के प्रतिनिधि को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए इस योजना अन्तर्गत खर्च होने वाली राशि के वार्ताविक आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि इस योजना को वर्ष 2015–16 में शीघ्र स्वीकृत कराया जा सके।

(कार्वाई : उप महाप्रबंधक, नवार्ड, पटना)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापक के साथ बैठक की कार्वाई समाप्त की गई।

कृषि उत्पादन आयुक्त,  
बिहार।

ज्ञापांक :

5639

दिनांक : 02-12-2015

प्रतिलिपि : सहायक महाप्रबंधक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संयोजक भारतीय स्टेट बैंक, प० गाँधी मैदान, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नवार्ड, मौर्यालोक कम्पलेक्स ब्लॉक बी, चौथी एवं पांचवीं तल्ला डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्वाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त,  
बिहार।

ज्ञापांक :

5639

दिनांक : 02-12-2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार/निदेशक, पशु एवं मत्स्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, डेयरी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/उप महाप्रबंधक, कम्फेड, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक(शब्द), अभियंत्रण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक(सां०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बिहार, पटना/उप निदेशक(शब्द), सूचना, बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक(सा०), बिहार, पटना/सिचाई विशेषज्ञ, पी०पी०एम० कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्वाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त,  
बिहार।

ज्ञापांक :

5639

दिनांक : 02-12-2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, वित्त(सांस्थिक वित्त) विभाग, ललित भवन, बैली रोड, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त,  
बिहार।